

## ::आदेश::

जनपद देहरादून में COVID-19 संक्रियत व्यक्तियों के निरन्तर चिन्हित होने के फलस्वरूप संक्रमण के प्रसार को रोकने हेतु सुरक्षात्मक उपाय किये जाने अपरिहार्य हो गये हैं।

अतः Uttarakhand Epidemic Diseases, COVID-19 Regulations, 2020 Epidemic Diseases Act 1897 तथा आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर निगम, देहरादून क्षेत्रान्तर्गत सप्ताह में दो दिन प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को निम्नलिखित सेवाओं को प्रतिबन्धित तथा आवश्यक सेवाओं को संचालित किये जाने हेतु आदेश पारित किये जाते हैं:-

सेवायें जो पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगी	सेवायें जो संचालित हो सकेगी
1- सभी दुकानें एवं उनके प्रतिष्ठान।	1- दवाओं की दुकाने 2- पेट्रोल पम्प एवं गैंग्स एजेन्सियाँ। 3- डेरी (दूध, दही आपूर्ति करने वाली दुकानें)। 4- टिफिन सर्विसेस। 5- गीट/मछली की दुकानें (जिनके पास वैध लाईसेंस हो)। 6- औद्योगिक इकाईयाँ।
2- देशी तथा विदेशी मदिरा की दुकानें।	
1- भारत सरकार एवं राज्य सरकार के अधीन सभी शासकीय/अद्वशासकीय कार्यालय एवं उपकरण तथा बैंक व सभी प्रकार के निजी कार्यालय	1- आवश्यक सेवाओं से सम्बन्धित यथा- रवास्थ्य, चिकित्सा, पेयजल, नगर निगम, विद्युत विभाग के कार्यालय।
1- सभी प्रकार के वाहन।	1- आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए वाहन/चिकित्सीय आकस्मिकता के वाहन।

उपरोक्त आदेश का जन सुरक्षा के दृष्टिगत अनुपालन अनिवार्य होगा। उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 व Uttarakhand Epidemic Diseases, COVID-19 Regulations, 2020 Epidemic Diseases Act 1897 एवं भारतीय दण्ड संहिता तथा अन्य अधिनियमों की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही कर दी जायेगी।



(डॉ आशीष कुमार श्रीवास्तव)  
जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून।

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून।

संख्या : २४८९ / सीपीओ-डीएम-२०२०

दिनांक : ०८, जून, 2020

प्रतिलिपि:-

- 1- मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सादर सूचनार्थ।
- 2- अपर मुख्य सचिव महोदय, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को सादर सूचनार्थ।
- 3- सचिव महोदय, गृह, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सादर सूचनार्थ।
- 4- सचिव महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सादर सूचनार्थ।
- 5- आयुक्त महोदय, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी को सादर सूचनार्थ।
- 6- उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून।
- 7- नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून।
- 8- मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून।
- 9- अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)/प्रशासन, देहरादून।
- 10- नगर मजिस्ट्रेट/समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद-देहरादून।
- 11- मुख्य चिकित्साधिकारी, देहरादून।
- 12- समस्त कार्यालयाध्यक्ष, जनपद-देहरादून।
- 13- लीड बैंक अधिकारी/ सहायक श्रमायुक्त/ जिला पूर्ति अधिकारी/ महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र/जिला आबकारी अधिकारी, जनपद-देहरादून।
- 14- जिला सूचना अधिकारी, देहरादून को समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।

जिला मजिस्ट्रेट  
देहरादून।